

संचिका सं०-7/सदर एवं अनु०अरप०-23-01/2026-27-341(78)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से.,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक-17/08/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभिन्न सदर/ जिला अस्पतालों में संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों तथा इंटर्नशीप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातको को छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 8,64,23,400/- (रूपये आठ करोड़ चौसठ लाख तेईस हजार चार सौ) मात्र व्यय निमित्त आवंटन की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-10(1) दिनांक-08.01.2021, संकल्प संख्या-776(1) दिनांक-29.11.2023, संकल्प संख्या-472(1) दिनांक-05.07.2023 एवं विभागीय पत्रांक-03(1) दिनांक-03.01.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य के विभिन्न सदर अस्पतालों में संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों तथा इंटर्नशीप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातको को छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू० 8,64,23,400/- (रूपये आठ करोड़ चौसठ लाख तेईस हजार चार सौ) मात्र व्यय निमित्त आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी, लघु शीर्ष-110-अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल, विपत्र कोड-20-2210-01-110-0013 अंतर्गत छात्रवृत्ति/ वजीफा (34-01) मद में बजट उपबंध/ अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक होंगे ।

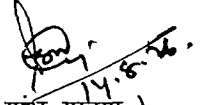
(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी सुसंगत प्रपत्रों के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि० (2) दिनांक-17.4.1998 एवं संकल्प सं०-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

- (7) वित्त विभाग द्वारा किये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र **BTC Form 42A** पर तैयार करते हुए नियमानुसार व ससमय महालेखाकार के कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
- (8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संख्या-7/सदर एवं अनु0 अस्प0-23-01/2026-27 के पृ0-15/टि0 पर प्राप्त है ।
- (9) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
- (10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, एतदसंबंधी आवंटनादेश अलग से उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

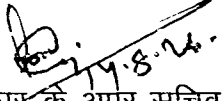

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 7/सदर एवं अनु0अस्प0-23-01/2026-27-34/78/स्वा0, पटना, दिनांक:-17/08/2026

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी, / संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ /संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07 एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव

विभिन्न सदर/ जिला अस्पतालो में संचालित डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों तथा इंटर्नशीप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातको को छात्रवृत्ति/ वजीफा के भुगतान हेतु निम्नवत जिलों को आवंटित की जाने वाली राशि—

क्रमांक	संस्थान का नाम	छात्रवृत्ति/ वजीफा (34-01) मद में आवंटित राशि (रुपयें में)
1	नालन्दा	90,00,000
2	भोजपुर (आरा)	14,66,400
3	रोहतास (सासाराम)	26,32,200
4	जहानाबाद	76,50,000
5	नवादा	12,04,000
6	सारण (छपरा)	90,00,000
7	सिवान	14,00,000
8	गोपालगंज	44,18,400
9	वैशाली	34,44,000
10	पूंचन्या0(मोतिहारी)	1,14,50,400
11	सीतामढ़ी	78,00,000
12	मधुबनी	25,98,000
13	समस्तीपुर	19,00,000
14	भागलपुर	13,68,000
15	बेगुसराय	60,00,000
16	खगड़िया	39,36,000
17	शिवहर	37,80,000
18	लखीसराय	15,00,000
19	बौका	14,76,000
20	अररिया	44,00,000
	कुल	8,64,23,400

34/नब)
-13/08/2026

(रुपये आठ करोड़ चौपठ लाख तेईस हजार चार सौ) मात्र

सरकार के अपर सचिव
राम